



फल एवं औद्यानिकी प्रौद्योगिकी संभाग
 भा.कृ.अ.प.—भा.कृ.अ.स., पूसा कैम्पस, नई दिल्ली—110012
 Division of Fruits and Horticultural Technology
 ICAR-Indian Agricultural Research Institute, New Delhi- 110 012



No. FHT/FPA/2025-26/312

Dated: 15-01-2026

कृषि उपज नीलामी सूचना

फल एवं बागवानी प्रौद्योगिकी संभाग, आईएआरआई, नई दिल्ली के नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कृषि उपज की नीलामी प्रभाग के मुख्य उद्यान में सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से 05.02.2026 को सुबह 10.00 की जाएगी। फसलों का विवरण नीचे दिया गया है:

The farm produce as per details given below of the Division of Fruits and Horticultural Technology, IARI, New Delhi will be auctioned on 05.02.2026 at 10.00 AM through public auction in the Main Orchard of the Division.

Details of the crops are given below:

क्रम संख्या	क्षेत्र	वैज्ञानिक/अधिकारी का नाम	फसल का नाम	अनुमानित मात्रा	अनुसंधान के लिए आवश्यक	पहली तुड़ाई की तिथि	अंतिम तुड़ाई की तिथि
1.	Main Garden		Ber	500 kg.	50 kg.	15-02-2026	15-03-26
2.	Main Garden HDO WTC Farm NBPGR Farm	Sh.Sanjay Kumar, Farm In-charge	Beal	5000 kg.	500 kg.	25-05-2026	25-06-26

नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होंगी:

1. फल एवं बागवानी प्रौद्योगिकी संभाग के प्रमुख, आईसीएआर-आईएआरआई, नई दिल्ली को बिना कोई कारण बताए किसी भी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
1. The Head of the Division of Fruits and Horticultural Technology, ICAR-IARI, New Delhi reserves the right to accept or reject any of all bids without assigning any reason.
2. यदि उच्चतम बोली मौके पर ही स्वीकार कर ली जाती है, तो उच्चतम बोलीदाता को उच्चतम बोली पर 30% राशि (ईएमडी के रूप में) मौके पर ही जमा करानी होगी, साथ ही आधार कार्ड की एक प्रति भी जमा करानी होगी और शेष 70% राशि, नीलामी की तिथि से एक सप्ताह के भीतर जमा करानी होगी। ऐसा न करने पर, पूरी राशि पर प्रतिदिन 0.5% जुर्माना लगाया जाएगा। किसी भी स्थिति में ऊपर बताए गए भूखंडों/बगीचों में फलों की कटाई तालिका के कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई तिथियों से पहले नहीं की जाएगी।
2. In case the highest bid is accepted on the spot, the highest bidder will have to pay 30% on the spot (as EMD) on the highest bid alongwith a copy of ADHAAR CARD and shall have to make the balance payment of 70% within a week from the date of auction. Failing, 0.5% penalty will be charged per day as penalty on the full amount. On no accounts the fruits in the plots/orchards mentioned above shall be harvested before the dates indicated in column No. 6 of the table.
3. यदि कोई उच्चतम बोलीदाता उस विशेष फल वस्तु की अपेक्षित राशि जमा करने में असमर्थ है, तो उसे अगले पांच वर्षों तक कृषि उपज की नीलामी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया

जाएगा। साथ ही, जमा की गई ईएमडी/बोली की जमा कराई गई 30% राशि जब्त कर ली जाएगी।

3. If any highest bidder is unable to deposit required amount of that particular fruit commodity, he/she will not be considered in the auction process of farm produce for next five year. Further, the EMD/30% of auction amount deposited will be forfeited.
4. बाग के क्षेत्र में कोई भी अस्थायी या स्थायी संरचना नहीं बनाई जानी चाहिए। यदि ऐसी कोई संरचना बनाई जाती है, तो अनुबंध तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। कोई धनवापसी नहीं की जाएगी और उसे अगले पाँच वर्षों के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया जाएगा।
4. **There should not be any temporary or permanent structure constructed in the orchard area. If any such structure is raised, the contract will be immediately cancelled. No refund will be made and he/she shall also be debarred for the next five years.**
5. यदि उच्चतम बोली मौके पर स्वीकार नहीं की जाती है, तो दूसरे सबसे ऊंचे बोलीदाता को मौके पर ही बोली की 50% राशि नकद तथा बयाना राशि का भुगतान करना होगा। फल एवं बागवानी प्रौद्योगिकी संभाग, आईसीएआर-आईएआरआई, नई दिल्ली के प्रमुख द्वारा बोली स्वीकार किए जाने की सूचना उच्चतम बोलीदाता को दी जाएगी, जिसे नोटिस में उल्लिखित तिथि की समय सीमा के भीतर फल एवं बागवानी प्रौद्योगिकी संभाग, आईसीएआर-आईएआरआई, नई दिल्ली-110012 के कैशियर को उपज के विक्रय मूल्य की शेष राशि का नकद/बैंक डीडी में पूर्ण भुगतान करने के बाद उपज को हटाना होगा।
5. In case the highest bid is not accepted on the spot the second highest bidder shall have to pay on the spot in cash 50% of bid and earnest money on the fall of the hammer. At intimation of acceptance of the bids by Head, Division of Fruits and Horticultural Technology, ICAR-IARI, New Delhi, will be communicated to the highest bidder who within the time limit of the date mentioned in the notice shall have to remove the produce after making full payment in cash/Bank DD of the balance amount of the sale price of produce to the Cashier of the Division of Fruits and Horticultural Technology, ICAR-IARI, New Delhi -110012.
6. खंड (2 और 3) के तहत शामिल दोनों मामलों में यदि सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि के भीतर उपज को हटाने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा पहले से भुगतान की गई बयाना राशि प्रमुख, फल और बागवानी प्रौद्योगिकी संभाग, आईसीएआर-आईएआरआई, नई दिल्ली - 110 012 द्वारा जब्त कर ली जाएगी, जो उसके संबंध में कोई भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
6. In both the cases covered vide clause (2&3) if the successful bidder fail to remove the produce within the stipulated period, the earnest money already paid by him shall stand forfeited by the Head, Division of Fruits and Horticultural Technology, ICAR-IARI, New Delhi -110 012, who will be free to take any necessary action thereof.
7. एक बार नीलाम की गई उपज को वापस या बदला नहीं जा सकता है।
7. The produce once auctioned cannot be taken back or exchanged.
8. उपज को पक्षियों एवं अन्य जानवरों से उचित रूप से बचाना होगा तथा पेड़ों एवं शोध प्रायोगिकी सामग्री को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाए बिना, उच्चतम बोली लगाने वाले को अपनी लागत पर उपज की तुड़ाई एवं गिरे हुए फलों को नियमित रूप से चुनना (पेड एवं जमीन से) होगा जिससे कि किसी भी प्रकार से संभाग के उत्पाद को नुकसान ना होवें। फल

- के सुरक्षा अधिकारी को सूचित करते हुए फसलों के लिए निर्दिष्ट अवधि के लिए रखवाली करने की अनुमति होगी।
8. Adequate protection shall have to be ensured from birds and other animals without causing any damage to the trees including research & experimental material in any manner, the highest bidder shall, at his/her own cost, carry out harvesting of the fruits and regularly collect the fallen fruits (from the trees and the ground), so that the produce of the Division should not suffer any kind of damage. The Fruit and Horticulture Technology Division, ICAR-IARI, New Delhi-110012 shall not be responsible for any loss or theft of the produce. However, the highest bidder shall be permitted to arrange guarding of the crops for a specified period, after informing the Institute's Security Officer.
 9. सभी श्रम और अन्य खर्च जैसे कि पिकिंग, परिवहन आदि सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
 9. All labour and other charges such as picking, transportation etc. will be borne by the successful bidder.
 10. प्रयोगात्मक सामग्री या सीमा की बाड़ आदि को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि कोई नुकसान होता है, तो सफल बोलीदाता को पूर्ण विवरण के साथ नुकसान की लागत वहन करनी होगी।
 10. There should not be any damage to the experimental material or fencing of the boundary etc. In case there is any damage, the successful bidder would bear the cost of damage with complete details.
 11. यदि कोई कर देय है, तो उसे सफल बोलीदाता को चुकाना होगा।
 11. Any tax if leviable shall have to be paid by the successful bidder.
 12. नीलाम की गई उपज को छोड़कर अन्य किसी भी उपज को हटाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि सबसे अधिक बोली लगाने वाला या उसका कर्मचारी ऐसा करते हुए पाया जाता है तो अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
 12. Produce except those, auctioned will not be allowed to be removed. In the case the highest bidder or his worker is found doing so the contract will be nullified and the money deposited for the purpose will be forfeited.
 13. ठेकेदार प्रायोगिक उद्देश्य से पेड़ों पर कोई भी स्प्रे या अन्य उपचार बंद नहीं करेगा।
 13. The contractor will not stop any spray or other treatments of trees for experimental purpose.
 14. विभागीय कर्मचारियों को पेड़ों और फलों पर सभी अवलोकनों को रिकॉर्ड करने की स्वतंत्रता होगी।
 14. The watch and ward for all the produce will be responsibility of the contractor failing which the present contractor will be nullified and will be black listed for the future auctions.
 15. समस्त उपज की निगरानी एवं रखवाली की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, अन्यथा वर्तमान ठेकेदार को निरस्त कर दिया जाएगा तथा आगामी नीलामी के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा।
 15. The watch and ward for all the produce will be responsibility of the contractor failing which the present contractor will be nullified and will be black listed for the future auctions.
 16. किसी भी दशा में बाग में खाना पकाने आदि के लिए लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी ऐसा करते हुए पाया जाता है तो ठेकेदार को प्रभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित जुर्माना अदा करना होगा।
 16. Firewood should not be used for cooking etc. in the orchard in any case. If any worker is found doing so the contractor will have to pay the penalty fixed by the Head of the Division.

17. यदि ठेकेदार या कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कोई अग्नि दुर्घटना होती है तो संबंधित को प्रभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित क्षति लागत अदा करनी होगी।
17. If any fire accident occurs due to the negligence of the contractor or workers, the concerned will have to pay the damage cost fixed by the Head of the Division.
18. ठेकेदार को बाग में परिवार रखने की अनुमति नहीं होगी तथा कर्मचारी प्लाट/ब्लॉक के समीप ही प्लाट की रखवाली के लिए रहेंगे।
18. The contractor will not be allowed to keep family in the orchard and the workers would stay adjacent to plot/block for guarding the plots.
19. ठेकेदार को डिवीजन की किसी भी संपत्ति को हटाने या नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं होगी। इसके विपरीत नियम व शर्तों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
19. Contractor will not be allowed to remove or damage any property of the Division. Contrary to this necessary action as mentioned under the terms and conditions will be taken.
20. अन्य नियम व शर्तें मौके पर ही घोषित की जाएंगी।
20. Other terms and conditions will be announced on the spot.
21. किसी भी स्थिति में बाग में कृषि उपज की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।
21. Sale of farm produce in the orchard will not be allowed in any case.
22. ठेकेदार को बाग में प्रवेश करने या निगरानी के लिए आवश्यक व्यक्तियों के नाम, पूरा पता और पहचान पत्र की फोटोकॉपी की जानकारी देनी होगी।
22. The contractor will be required to intimate the name of the persons with full address and photocopy of identity card required for entering in the orchard or for watch and ward purpose.
23. उपरोक्त नियमों और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में संपूर्ण अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी तथा किसी भी परिस्थिति में अनुबंध को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
23. The entire contract will be nullified and the money deposited for the purpose will stand forfeited in the event of violation of the above terms and conditions and in no circumstance would be allowed to subject the contract further.
24. सभी बोलीदाताओं को बोली प्रक्रिया शुरू होने से पहले 1000.00 रुपये (केवल एक हजार रुपये) की राशि जमा करनी होगी। बोली समाप्त होने के बाद यह राशि वापस कर दी जाएगी।
24. All the bidders will have to deposit a sum of **Rs. 1000.00 (Rs. One thousand only)** before the start of the bidding process. The same will be refunded after the bid is over.
25. ठेकेदार फसल पर अनुसंधान में लगे संबंधित वैज्ञानिकों की अनुमति के साथ-साथ फार्म प्रभारी से गेट पास लेकर फलों की कटाई करेगा।
25. The contractor will harvest the fruits with the permission of the concerned scientist(s) engaged in research in the crop along with gate pass from the Farm In-charge.
26. प्रयोगात्मक अनुसंधान, शिक्षण और विस्तार उद्देश्यों के लिए ऊपर दिए अनुसार आवश्यक फलों की मात्रा ठेकेदार द्वारा नीलामी के समय घोषित विशिष्ट दरों पर आपूर्ति की जाएगी।
26. Quantum of produce fruits required for the experimental research, teaching and extension purposes as given above will be supplied by the contractor at the specific rates announced at the time of auction.

27. नीलाम की गई उपज को अनुसंधान ब्लॉकों से कार्यालय समय के दौरान ही एकत्रित/काटना होगा, अर्थात् सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक।
27. The produce auctioned will have to be collected/harvested from research blocks during office hours, i.e. 9.00 AM to 5.30 PM only.
28. नीलाम की गई कृषि उपज को संस्थान द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर नियमों और विनियमों के अनुसार बेचा जाएगा।
28. The auctioned farm produce will be sold as per the rules and regulations at place designated by the Institute.

नोट: कृषि उपज नीलामी का अनुबंध पूरी तरह से अहस्तांतरणीय है।

Note: The contract of farm produce auction is strictly non-transferable.

प्रतिलिपि:

अमित कुमार
16.01.2016
संभागाध्यक्ष
अमित

1. समस्त वैज्ञानिक कर्मचारी।
2. भागीय कृषि उपज नीलामी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य।
3. श्री संजय कुमार, वरिष्ठ तकनीकी सहायक एवं फार्म प्रभारी।
4. वरिष्ठ नियंत्रक या उनके द्वारा नामित व्यक्ति, निदेशालय, आईएआरआई, नई दिल्ली-110012।
5. सुरक्षा अधिकारी, आईएआरआई, नई दिल्ली-110012।
6. प्रभारी, एकेएमयू, आईएआरआई, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस नोटिस को आईएआरआई वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. श्री संजय कुमार, सहायक (स्टोर)/ श्री विनोद कुमार, यूडीसी (कैशियर), एफएंडएचटी प्रभाग।